

**U.T. Administration of Daman and Diu,
Finance Department,
Secretariat, Moti Daman**

No.3/81/FD/2012/161

Dated:- 18/06/2012

ORDER

In pursuance of Rule 196(ii) of General Financial Rules, 2005 a committee constituting of the following officers is hereby constituted to examine and recommend to the Competent Authority to declare item(s)/stores, surplus or absolute or unserviceable in respect of each office in Daman and Dadra & Nagar Haveli and Diu District as under:

A. For Daman and Dadra & Nagar Haveli (DNH)

01.	Head of Offices of respective office/department	Chairman
02.	Jt. Secretary (Finance)/Dy. Secretary (Finance), Daman/Dadra & Nagar Haveli.	Member
03.	Jt. Secretary (Dev)/Dy. Secretary (Dev), Daman/Dadra & Nagar Haveli	Member

B. For Diu District


01.	Head of Offices of respective office/department	Chairman
02.	Deputy Collector, Diu	Member
03.	Assistant Accounts Officer, Diu	Member

The chairman may co-opt the technical member, having knowledge of store wherever necessary.

This order is issued with the approval of Hon'ble Administrator vide diary No.2750 dated 08/06/2012.

This is issued in supersession to order No. 1/3/93-FD/2010-2011/223 dated 11/08/2010.

By order and in the name of
Administrator of Daman and Diu
and Dadra & Nagar Haveli.


(Kishore Bamania)

Deputy Secretary (Finance)

To All the HOOs/HOD/DDOs,
Daman, Diu & D&NH.

- Copy to:1) The S.O. to the Hon'ble Administrator, Secretariat, Daman and Diu/D&NH.
2) PS to Development Commissioner, Secretariat, Daman and Diu/D&NH.
3) The Collector, Daman/Diu/D&NH.
4) The Government Printing Press, Daman for publication in official Gazette and also circulate to all Heads of Offices/Department in Daman and Diu.
✓5) The DIO, NIC, Daman – with a request to upload in the official site.

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

वित्त विभाग,

सचिवालय, मोटी दमण

सं.3/81/ वित्त विभाग/2012/04

दिनांक : 18/06/2012

आ दे श

दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली तथा दीव जिले के प्रत्येक कार्यालय में अतिरिक्त या अप्रचलित या बेकार पड़ी वस्तु (ओं) के संबंध में जांच करने एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस बारे में घोषणा करने हेतु सिफारिश करने के लिए एतद्वारा सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 196(ii) के अनुसरण में निम्नलिखित अधिकारियों को शामिल करते हुए एक समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :

क.दमण तथा दादरा एवं नगर हवेली (दा.न.ह.)

01.	संबंधित कार्यालय/ विभाग के कार्यालयध्यक्ष	अध्यक्ष
02.	संयुक्त सचिव (वित्त)/ उप- सचिव (वित्त), दमण / दादरा एवं नगर हवेली	सदस्य
03.	संयुक्त सचिव (विकास)/ उप- सचिव (विकास), दमण / दादरा एवं नगर हवेली	सदस्य

ख.दीव जिला के लिए


01.	संबंधित कार्यालय/ विभाग के कार्यालयध्यक्ष	अध्यक्ष
02.	उप समाहर्ता, दीव	सदस्य
03.	सहायक लेखा अधिकारी, दीव	सदस्य

अध्यक्ष आवश्यक होने पर भंडार का ज्ञान रखने वाले तकनीकी सदस्य को सहयोजित कर सकते हैं।

यह आदेश माननीय प्रशासक के अनुमोदन पर डायरी संख्या 2750, दिनांक 08/06/2012 के तहत जारी किया जाता है।

यह आदेश संख्या 1/3/93-वित्त विभा./2010-2011/223, दिनांक 11/08/2010 के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

प्रशासक, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली के आदेश द्वारा एवं नामानुसार



(किशोर बामणिया)

उप- सचिव (वित्त)

सेवा में,

सभी कार्यालय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/ आहरण एवं वितरण अधिकारी,
दमण, दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली

प्रतिलिपि :

- 1) माननीय प्रशासक की स्टाफ अधिकारी, सचिवालय, दमण एवं दीव/दादरा एवं नगर हवेली
- 2) विकास आयुक्त, सचिवालय, दमण एवं दीव/दादरा एवं नगर हवेली
- 3) समाहर्ता, दमण एवं दीव/दादरा एवं नगर हवेली
- 4) सरकारी मुद्रणालय, दमण को इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने तथा दमण एवं दीव में सभी कार्यालय अध्यक्षों/ विभाग में परिचालित करने के लिए.
- 5) जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना-विज्ञान केन्द्र, दमण को इसे सरकारी साईट पर अपलोड करने के बारे में .